

सल नं० २/१५०/२०२२

तारीख रजू.....

पंकज बनाम जयलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.06.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अंब्लोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 1154, 1158, 1162, 1368, 1370, 1445, 1156, 1369, 1467, वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 04.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि० डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

पत्रावली काज वकील जज के नजदिक तारीख पेशी  
पत्रावली पर एक्स पार्टी पेश हुकी जानकारी पर एक्स पार्टी उज्र  
तारीख पेशी स्थगन किया जाता है। वापर की जानकारी पर  
01R10 CR 06R17 एक्सपार्टी पर एक्सपार्टी  
की (सुना जाता) प्रार्थना पर 01R10 CR व 06R17  
एक्सपार्टी किया जाता है। पत्रावली तारीख पेश करने की तारीख  
त्रिंशिस दिनांक 28/6/22 को पेश करें।


उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

पंजाब जनाय जमशाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

29/9/22

वकुलाय उपेया प्रथम दुष्का केम सुविधा को  
 स्त-तुलन एवं वा इति होने वाली क्षति हीनों  
 विन्दु सामल के पक्ष में साबित वा होकर  
 गैरसाभयान के पक्ष में साबित है। सामल अपने  
 प्रार्थना-पत्र प्रारम्भ को साबित कर लेने के करने  
 में असमर्थ रह है। इस वजह के सामल को  
 प्रार्थना-पत्र साबित नग होने के कारण खारिज  
 किया जाता है। विषय पत्रावली पर जारी रहे आदेश  
 दिनांक 17-6-22 के बंदे किया जाता है विषय  
 पत्रावली के लिखाया जाय शाह मिं किया गयी  
 पत्रावली जमल मुगु होकर नबलने कर दी  
 काद लखी प्रुल काद के साथ खरिना रहे  
 कतुनम

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कटुमर (अलापर)